

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम **सुदेश कुमार शर्मा**
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रक्षा विभाग**
 3. वर्तमान धारित पद
 4. वर्तमान वेतन
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **11.9.22**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्य
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जैन	गृह	-	25 से 30 लाख अज्ञात	रक्षा	बैंक बोनस 10.10 बैंक रक्षा बोनस रक्षा बोनस		

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अल्पकालीन पट्टे की सम्मिलित है।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय संरक्षक (आवरण) नियम, 1956 के नियम 18 (2) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य की यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति निरूपित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभिवल की तथा उसके द्वारा अधिलेखित अर्थात् उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर

[Signature]

पदनाम

सुदेश कुमार शर्मा

नाम

रक्षा विभाग

मो.न.

.....